

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आईटम नंबर-3 ? श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | विवरण सं. 35 | तीसरा सत्र, 2009
[Placed in Library, See No. LT9227/17/23] |
| 2. | विवरण सं. 33 | ग्यारहवां सत्र, 2012
[Placed in Library, See No. LT9228/17/23] |
| 3. | विवरण सं. 33 | तेरहवां सत्र, 2013
[Placed in Library, See No. LT9229/17/23] |

सोलहवीं लोक सभा

- | | | |
|----|--------------|--|
| 4. | विवरण सं. 23 | ग्यारहवां सत्र, 2017
[Placed in Library, See No. LT9230/17/23] |
| 5. | विवरण सं. 16 | सोलहवां सत्र, 2018-19
[Placed in Library, See No. LT9231/17/23] |
| 6. | विवरण सं. 15 | सत्रहवां सत्र, 2019
[Placed in Library, See No. LT9232/17/23] |

सत्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 7. | विवरण सं. 18 | पहला सत्र, 2019
[Placed in Library, See No. LT9233/17/23] |
| 8. | विवरण सं. 14 | दूसरा सत्र, 2019
[Placed in Library, See No. LT9234/17/23] |
| 9. | विवरण सं. 13 | तीसरा सत्र, 2020
[Placed in Library, See No. LT9235/17/23] |
| 10. | विवरण सं. 13 | चौथा सत्र, 2020 |

		[Placed in Library, See No. LT9236/17/23]
11.	विवरण सं. 13	पांचवां सत्र, 2021
		[Placed in Library, See No. LT9237/17/23]
12.	विवरण सं. 12	छठा सत्र, 2021
		[Placed in Library, See No. LT9238/17/23]
13.	विवरण सं. 6	सातवां सत्र, 2021
		[Placed in Library, See No. LT9239/17/23]
14.	विवरण सं. 6	आठवां सत्र, 2022
		[Placed in Library, See No. LT9240/17/23]
15.	विवरण सं. 3	नौवां सत्र, 2022
		[Placed in Library, See No. LT9241/17/23]
16.	विवरण सं. 1	दसवां सत्र, 2022
		[Placed in Library, See No. LT9242/17/23]
17.	विवरण सं. 1	ग्यारहवां सत्र, 2023
		[Placed in Library, See No. LT9243/17/23]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त)डॉ. वी.के. सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ. 6016(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4200(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
 - (दो) का.आ. 6017(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
 - (तीन) का.आ. 6018(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है ।

- (चार) का.आ. 155(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 330घ को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है ।
- (पांच) का.आ. 156(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (छह) का.आ. 157(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (सात) का.आ. 197(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4491(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (आठ) का.आ. 198(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (नौ) का.आ. 199(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है ।
- (दस) का.आ. 200(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (ग्यारह) का.आ. 201(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (बारह) का.आ. 202(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम

लिमिटेड मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 102ग के पल्ले-चंदेल खंड के विकास और अनुरक्षण संबंधी कार्य का निर्वहन करेगा ।

- (तेरह) का.आ. 203(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (चौदह) का.आ. 300(अ) जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (पंद्रह) का.आ. 763(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 244 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है ।
- (सोलह) का.आ. 764(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 444 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है ।
- (सत्रह) का.आ. 765(अ) जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (अठारह) का.आ. 864(अ) जो 23 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (उन्नीस) का.आ. 927(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 866 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है ।
- (बीस) का.आ. 978(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 979(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ. 1154(अ) जो 10 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 375 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9244/17/23]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 401(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के अलीगढ़-कानपुर खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 402(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-275 के बेंगलुरु-निदाघट्टा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 404(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161 के अकोला-मेडसी-वाशिम खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 490(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161 के उसमें उल्लिखित खंडों की चार और अधिक

लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है ।

- (पांच) का.आ. 491(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में एनएच-09 (पुराना एन.एच.-10) के दिल्ली-हरियाणा सीमा से रोहतक खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है ।
- (छह) का.आ. 492(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में एनएच-09 के मलोट-मंडी-डबवाली खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है ।
- (सात) का.आ. 493(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में एनएच-85 के वोडीमेट्टू/मुन्नार खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है ।
- (आठ) का.आ. 626(अ) जो 9 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-326क के एपी/ओडिशा सीमा से नरसन्नापेट्टा खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है ।
- (नौ) का.आ. 629(अ) जो 10 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एनएच-922 के भोजपुर-बक्सर खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है ।
- (दस) का.आ. 630(अ) जो 10 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में एनएच-352 (पुराना एन.एच.-71) के जींद से रोहतक खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है ।
- (ग्यारह) का.आ. 654(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में एनएच-215 (पुराना एन.एच.-520) के कोयडा से राजामुंडा

खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

- (बारह) का.आ. 797(अ) जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-234 (नया एन.एच.-75) के आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा से वेल्लोर में समाप्त होने वाले खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 798(अ) जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965 के मोहोल-वाखड़ी-खुडूस खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 950(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-214क के मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 953(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2563(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT9245/17/23]

- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT9246/17/23]

- (ख) (एक) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT9247/17/23]

- (ग) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) पवन हंस लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT9248/17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारिषद प्रभारों और हानियों का साझाकरण(पहला संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क, जुर्माना और प्रभार) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/04 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT9249/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एचक्यू-13011/2/2021-अधिप्रमा.-दो (2023 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्यनिर्धारण) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एचक्यू-13062/4/2021-अधिप्रमा.-दो (2023 का संख्यांक 2) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT9250/17/23]

- (2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार-संहिता) नियम, 2021 जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9251/17/23]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9252/17/23]

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओमनीबस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9253/17/23]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस कंपनियों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2023 जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टीईसीएच/4-टी4एसएलएनजी(1)/2019 (पी-3317) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9254/17/23]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9255/17/23]

- (4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ii) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT9256/17/23]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एलएम/पीएम/0001/2020/यूडीएवाई/एमओएम में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का.आ. 1487(अ) जो 4 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1053(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.

LT9257/17/23]

- (3) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9258/17/23]



-